न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री पन्नाराम पुत्र खेताराम जी, जाति– कलबी, निवासी– धाण, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, धाण जरिये सरपंच, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. चुन्नीलाल पुत्र गोमाजी, जाति–जैन, निवासी–धाण, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
3. मदनलाल पुत्र बाबुलालजी, जाति–जैन, निवासी–धाण, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 12/2019

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 05 जनवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, धाण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम धाण, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा भोगवटे का एक भूखण्ड व पुश्तैनी आवास आया हुआ है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से लगातार बिना किसी रुकावट के काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड व आवासीय मकान की चतुर्दशी उत्तर में 15 फीट की गली व बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दक्षिण में आम रास्ता धाण से दादरला डामर सडक, पूर्व दिशा में आम रास्ता धाण से ईदरला डामर सडक व पश्चिम में प्रभुजी पुत्र देवाजी राव, प्रवीण कुमार पुत्र नरसाजी राव का मकान आया हुआ है व नाप उत्तर–दक्षिण 50 फीट व पूर्व–पश्मि 70 फीट कुल क्षेत्रफल 3500 वर्गफीट है। यह कि उक्त नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड व आवासीय मकान प्रार्थी के पिता के समय से है जिस पर प्रार्थी का पुराना आवास है तथा चारों और बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया हुआ है, उक्त सम्पति प्रार्थी की है जिसके लिये प्रार्थी ने पट्टा बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया है, जो लम्बित है। प्रार्थी की उक्त सम्पति पर प्रार्थी का कब्जा शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है व प्रार्थी के कब्जे में आज तक किसी भी व्यक्ति ने दखल नही दी है। प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पति का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम के कुछ व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखते है उनके द्वारा विवादित पट्टा प्रस्तुत कर उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी होने की जानकारी प्रार्थी को दी, इस प्रकार प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में प्रथम बार जानकारी जून, 2019 में हुई। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड की नीलामी कभी भी नही हुई है तथा न ही उक्त भूखण्ड नीलामी के लिये कभी भी खाली रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आम नीलामी में कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय नही किया है व न ही अप्रार्थी [illegible] व 3 को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम के कोई व्यक्ति [illegible] में नही है तथा न ही उक्त व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही [illegible] ग्राम धाण [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से कोई व्यक्ति नही [illegible] पट्टा जारी किया जाना [illegible] नही है। [illegible] ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रश्नगत पट्टा कुटरचित व फर्जी दस्तावेज है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी फर्जी है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिली हेतु तहसीलदार, रेवदर को भिजवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही होने पर प्रकरण में प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी पक्ष के खर्चे पर पंजीकृत डाक से अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण में अप्रार्थीगण को जारी नोटिस प्रार्थी पक्ष के खर्चे पर पंजीकृत डाक से अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, धाण जरिये सरपंच) को जारी नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, धाण जरिये सरपंच) इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या– 2 व 3 को जो नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये थे वह पंजीकृत डाक इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुई कि इस नाम का व्यक्ति ग्राम धाण में नही रहता है। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी नोटिस की तामिल प्रार्थी के खर्चे पर समाचार पत्र में नोटिस को छाया करवाकर कराने का अनुरोध किया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या– 2 व 3 (श्री चुन्नीलाल पुत्र गोमाजी, जाति– जैन, निवासी– धाण व श्री मदनलाल पुत्र बाबुलालजी, जाति– जैन, निवासी– धाण) को पुनः नोटिस जारी कर नोटिस को प्रार्थी के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" के सिरोही संस्करण में दिनांक 17.10.2020 को छाया करवाया गया। इस प्रकार, समाचार पत्र के माध्यम से अप्रार्थी संख्या– 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 23.11.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब भी प्रस्तुत हुआ। जिस पर प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम धाण में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा भोगवटे का एक भूखण्ड़ व पुश्तैनी आवास आया हुआ है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से लगातार बिना किसी रुकावट के काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड़ व आवासीय मकान की चतुर्दशी उत्तर में 15 फीट की गली व बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दक्षिण में आम रास्ता धाण से दादरला डामर सडक, पूर्व दिशा में आम रास्ता धाण से ईदरला डामर सडक व पश्चिम में प्रभुजी पुत्र देवाजी राव, प्रवीण कुमार पुत्र नरसाजी राव का मकान आया हुआ है व नाप उत्तर–दक्षिण 50 फीट व पूर्व–पश्मि 70 फीट कुल क्षेत्रफल 3500 वर्गफीट है। उक्त नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड़ व आवासीय मकान प्रार्थी के पिता के समय से है जिस पर प्रार्थी का पुराना आवास है तथा चारों और बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया हुआ है, उक्त सम्पति प्रार्थी की है जिसके लिये प्रार्थी ने पट्टा बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किसया है, जो लम्बित है। प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पति का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम के कुछ व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखते है उनके द्वारा विवादित पट्टा प्रस्तुत कर उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत [illegible] संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी होने की जानकारी प्रार्थी को दी गई, ज[illegible] प्रा[illegible] के उक्त भूखण्ड़ की नीलामी कभी भी नही हुई है तथा न ही उक्त भूखण्ड़ नी[illegible] के लिये कभी भी खाली रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि की आम नीलामी [illegible] कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

नही किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम के कोई व्यक्ति ग्राम धाण में नही है तथा न ही उक्त व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही कभी भी ग्राम धाण में रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से कोई व्यक्ति नही होने से उनके हक में पट्टा जारी किया जाना संभव ही नही है। प्रश्नगत पट्टा कुटरचित व फर्जी दस्तावेज है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी फर्जी है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया कि ग्राम पंचायत, धाण द्वारा अप्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र गोमाजी जैन, निवासी– धाण एवं मदनलाल पुत्र बाबुलालजी जैन, निवासी– धाण के पक्ष में क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट का पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम धाण में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा भोगवटे का एक भूखण्ड़ व पुश्तैनी आवास आया हुआ है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से लगातार बिना किसी रुकावट के काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड़ व आवासीय मकान की चतुर्दशी उत्तर में 15 फीट की गली व बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दक्षिण में आम रास्ता धाण से दादरला डामर सड़क, पूर्व दिशा में आम रास्ता धाण से ईदरला डामर सडक व पश्चिम में प्रभुजी पुत्र देवाजी राव, प्रवीण कुमार पुत्र नरसाजी राव का मकान आया हुआ है व नाप उत्तर–दक्षिण 50 फीट व पूर्व–पश्मि 70 फीट कुल क्षेत्रफल 3500 वर्गफीट है। उक्त नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड़ व आवासीय मकान प्रार्थी के पिता के समय से है जिस पर प्रार्थी का पुराना आवास है तथा चारों और बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया हुआ है, उक्त सम्पति प्रार्थी की है जिसके लिये प्रार्थी ने पट्टा बनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किसया है, जो लम्बित है। प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पति का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम के कुछ व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखते है उनके द्वारा विवादित पट्टा प्रस्तुत कर उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी होने की जानकारी प्रार्थी को दी गई, जबकि प्रार्थी के उक्त भूखण्ड़ की नीलामी कभी भी नही हुई है तथा न ही उक्त भूखण्ड़ नीलामी के लिये कभी भी खाली रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आम नीलामी में कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय नही किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम के कोई व्यक्ति ग्राम धाण में नही है तथा न ही उक्त व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही कभी भी ग्राम धाण में रहा है।"

प्रार्थीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, धाण में प्रार्थी द्वारा उसके पुश्तैनी मकान व भूमि के विनियमितिकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की जमा करवाई गई आवेदन शुल्क व मौका निरीक्षण फीस की ग्राम पंचायत, धाण द्वारा जारी रसीद संख्या 37 दिनांक 13.6.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की पंजीकृत डाक इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुई है कि इस नाम के व्यक्ति ग्राम धाण में नही रहते है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस की समाचार पत्र के माध्यम से तामिल होने के बाद भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुये है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों एवं विवादित पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार जांच कर उचित एवं सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत, धाण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 12 / 2019

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, धाण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में क्षेत्रफल 3000 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 01.9.1972 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, धाण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे व यह भी जांच करे कि श्री चुन्नीलाल पुत्र गोमाजी, जाति– जैन, निवासी– धाण व श्री मदनलाल पुत्र बाबुलालजी, जाति– जैन, निवासी– धाण नाम के व्यक्ति ग्राम धाण में निवासरत रहे है अथवा नही? और वर्तमान में निवासरत है अथवा नही? तत्पश्चात् संबंधित को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

5/1/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:13:04 IST
Reason: SelfAttested